जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/ 4177 दिनांक: 09.12.11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार (0751-2368329)** को **सत्र 2011-12** के लिये प्रस्तावित/संचालित **एम.ए. (पूर्वार्द्ध) (चित्र कला) पाठ्यक्रम** कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। **(संयोजक)**
(0751-2442603)
(2) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
(3) डॉ. जया जैन, आचार्य, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें। **महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।**

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रू. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्नगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4632 दिनांक : 06/03/12

// अधिसूचना //

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2012 के पद क्रमांक (41) के निर्णयानुसार शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2011-2012 के लिए एम.ए., पूर्वार्द्ध, चित्रकला की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है -

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. शासकीय नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. सभागार के पास ही चित्रकला हेतु एक हॉल की और व्यावस्था करें।
3. लाइब्रेरी में रू. 75,000/- की पुस्तकें एवं पेन्टिंग (कलाकृतिया) क्रय करें।
4. विषय से संबंधित रू. 1,25,000/- के उपकरण क्रय करें।
5. पुरानी कलाकृतियों को संरक्षित रखने हेतु फ्रेमिंग एण्ड माउन्टिंग कराई जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

> समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
> सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442601 (कार्यालय)
2442462 निवास
फैक्स : (0091-0751-2341769
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4630 दिनांक : 06/03/12

// अधिसूचना //

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2012 के पद क्रमांक (27) के निर्णयानुसार शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2011-2012 के लिए एम.एस-सी., पूर्वार्द्ध, रसायन की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है –

शर्ते/प्रतिबंध :-

1. लगभग रू. 50,000/- के Glass wares और Chemicals और क्रय किये जावे।
2. लगभग रू. 50,000/- मूल्य की पुस्तकें (नये Titles) और क्रय की जावे।
3. एक और शिक्षक की नियुक्ति की जावे।

आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4633 दिनांक : 06/03/12

// अधिसूचना //

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2012 के पद क्रमांक (30) के निर्णयानुसार शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2011-2012 के लिए एम.एस-सी. पूर्वाद्ध, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी) की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है -

शर्ते/प्रतिबंध :-

1. विभाग में दो और Qualified faculty की नियुक्ति की जावे।
2. लगभग 5 लाख मूल्य के उपकरण इस विभाग के लिए क्रय करें, जैसे-PCR मशीन Electrophoretic unit, refri. Centrifuge एक और Laminar flow etc.
3. M.Sc Microbiology के लिए एक प्रथक से सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जावें।
4. लगभग रू. 50,000/- मूल्य की पुस्तकें (नये Titles) और क्रय की जावें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 244280) (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341766
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4631 दिनांक : 06/03/12

// अधिसूचना //

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2012 के पद क्रमांक (29) के निर्णयानुसार शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2011-2012 के लिए एम.एस-सी. पूर्वार्द्ध, गृहविज्ञान (संचार प्रसार) की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है -

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. विभाग में Audio- Visual lab का विस्तार किया जावे।
2. विभाग में Computer कक्ष में, Animation Software क्रय किया जावे।
3. दो और Qualified शिक्षकों की नियुक्ति की जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)